REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

# एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम : अवसर एवं चुनौतियां

डॉ.सलीम अहमद

**प्रस्तावना :**

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एक सार्वजनिक निकाय है। जिसकी स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा प्रणाली को सुनियोजित एवं सुविकसित करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा गत वर्षों में अध्यापक शिक्षा के लिए 28 नवम्बर 2014 को **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2014** लागू किया।

इस अधिनियम के 4 वर्ष पश्चात दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2018** को लागू किया । इसी विनियम को दिनांक 29 मार्च 2019 को संशोधित कर **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन (विनियम) 2019** लागू किया गया ।

विनियम 2019 के माध्यम से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में दो नवीन पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया ।

1. चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) (पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक तक)
1. चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) (उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विनियम 2014 द्वारा शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) कार्यक्रम को एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष का कर दिया गया था साथ ही अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन कार्यक्रम चार वर्षीय एकीकृत बी.ए.बी.एड/बी.एस.सी. बी.एड. भी प्रारम्भ किया था । इस कार्यक्रम का लक्ष्य विज्ञान एवं मानविकी विज्ञान के साथ–साथ अध्यापक शिक्षा को एकीकृत कर शिक्षकों को तैयार करना था ।

लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बहुत ही कम समय में इस विनियम को परिवर्तित कर विनियम 2019 के द्वारा दो नवीन पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया । इस प्रकार विनियमों को बिना किसी पूर्व अनुसंधान के शीघ्रता से परिवर्तन करना अध्यापक शिक्षा के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया ।

विनियम 2014 द्वारा नये अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन केवल संयुक्त संस्थानों में हो सकता है । संयुक्त संस्थानों को आश्य ऐसे संस्थान जिसमें उदार कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं गणित विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन हो रहा हो । इस नियम से बी.एड. कोर्स का संचालन केवल डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालयों में हो सकता है। देश भर में जहां एक और तेजी से बी.एड. कॉलेज खुल रहे थे, उन पर थोड़ा बहुत अंकुश लगा । इस नियम से बी.एड. कॉलेजों की संख्या पर तो अंकुश लगा लेकिन उनकी गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । पूरे भारत में लगभग 17000 अध्यापक शिक्षा संस्थान है, लेकिन इनमें से 90 प्रतिशत संस्थानों का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है कि वह इन संस्थानों का निगरानी कर सकें । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास केवल संस्थानों का मान्यता प्रदान करना ही एक मात्र उद्देश्य रह गया है।

अध्यापक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह अन्य (नर्सिंग, मेडिकल एवं अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रमों में कक्षा 12 वीं के बाद 4 या 5 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है ठीक उसी तरह अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में भी कक्षा 12 वीं के बाद 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) प्रारम्भ किया जायें , इसी को ध्यान में रखते हुए विनियम 2019 द्वारा चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक तक) एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक) प्रारम्भ किया गया ।

## 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के उद्देश्यः

- प्रतिबद्ध, जिम्मेदार एवं व्यावसायिक अध्यापकों को तैयार करना ।
- विश्व स्तरीय सर्वोत्तम प्रक्रिया युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना।
- पाठ्यक्रम में शिक्षण शास्त्र एवं विद्यालय शिक्षण के कार्यों एवं गतिविधियों को सम्मिलित करना ।
- ज्ञान के स्वतंत्र विषयों तथा शिक्षा के क्षेत्र को संलग्न करना ।
- इस कार्यक्रम में सामान्य अध्ययन विषयों का एकीकरण करना ।
- सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्यों में संतुलन बनाना ।
- एक प्रभावशाली, प्रशिक्षित एवं प्रेरक शिक्षक तैयार करना ।

## अवधि एवं कार्य दिवस :

इस कार्यक्रम की अवधि चार वर्ष होगी जिसमें आठ सेमेसटर होंगे । यदि कोई छात्र इस कार्यक्रम को निधारित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाता है तो कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर सकता है।

## पात्रता :

इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता उच्च माध्यमिक अथवा 10+2 परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए ।

## निष्कर्ष :

इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख कार्य एक ऐसे शिक्षक को तैयार करना है, जो वास्तविक रूप में शिक्षक बनना चाहते है। क्यों कि वर्तमान में अधिकतर वे लोग बी.एड. करते है जिनका किसी अन्य कार्यक्रम में प्रवेश नहीं हो पाता है तो वह दो वर्षीय बी.एड. कर लेते है। जबकि यह कार्यक्रम चार वर्षीय होने के कारण इसमें गंभीर एवं वास्तविक रूप से जो शिक्षक बनना चाहते है वह ही प्रवेश ले सकेंगे । जिस तरह वर्तमान में अध्यापक शिक्षा संस्थान केवल डिग्री प्रदान करने का कार्य कर रहे है। गुणात्मकता का अभाव हो गया है तथा छात्र भी शिक्षण प्राप्त करना नहीं चाहते है मात्र डिग्री प्राप्त करना ही उद्देश्य रह गया है। जिसके लिए काफी हद तक शिक्षण संस्थान भी जिम्मेदार है तथा हमारी शिक्षा प्रणाली भी इस तरह हो गई है कि केवल डिग्रीधारक शिक्षकों की भीड़ एकत्र करना है । शिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए कोई प्रभावशाली योजना नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा जो अध्यापक शिक्षण संस्थान केवल दुकानों की तरह चल रहे है, उनको तुरन्त प्रभाव से बन्द करना चाहिए ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो नवीन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम का संचालन केवल डिग्री कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में ही होगा, एकल अध्यापक शिक्षण संस्थानों में नहीं होगा । इससे छात्रों को स्थापित एवं प्रशिक्षित अध्यापकों एवं भौतिक सुविधाओं युक्त वातावरण प्राप्त होगा इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के सचांलन हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा जो कि विश्वस्तरीय सर्वोत्तम प्रक्रिया युक्त होगा । जिससे आशा है कि छात्र विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे । इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक

शिक्षा संस्थानों की ठोस निगरानी की योजना हो एवं छात्रों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाये कि उनकी महाविद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। जब तक छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में अभिरूचि, कार्यकौशल तथा ज्ञान विकसित नहीं किया जायेगा तब तक छात्र इसमें रूचि नहीं लेंगे । पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाये कि छात्रों को महाविद्यालय में आना अनिवार्य हो तथा सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ प्रायोगिक ज्ञान भी प्राप्त हो । अध्यापक शिक्षा संस्थानों में सबसे बढ़ी समस्या योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का नहीं होना तथा शिक्षा संस्थानों द्वारा अध्यापकों का शोषण भी एक गंभीर समस्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एक ऐसी ठोस प्रणाली का निर्माण करना चाहिए कि जिससे संस्थानों में अध्यापकों को रखना एवं उनके कार्य की जांच हो सके अन्यथा संस्थानों द्वारा कागजी अध्यापकों रख कर खानापूर्ति कर ली जाती है।

इस कार्यक्रम से अपेक्षा की जाती है कि एक प्रभावशाली एवं प्रशिक्षित अध्यापक बनने के लिए समस्त चुनौत्तियों का सामाना करते हुए एक सफल, प्रेरक एवं ईमानदार अध्यापक बन सके ।

## सन्दर्भः

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2014
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2019
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन (विनियम) 2019
www.ncte-india.org

LBP PUBLICATION